शोध एवं विकास प्रकोष्ठ
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)

गङ्गानाथ झा परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क,

प्रयागराज-211002 (उ.प्र.)

दिनाङ्क -04.10.2023

अधिसूचना- 2023/12

शोधमार्गदर्शक, सह-शोधमार्गदर्शक एवं अन्तःशास्त्रीय/ बहुशास्त्रीय विशेष शोधवृत्ति के सन्दर्भ में शोध एवं विकास प्रकोष्ठ, के.सं.वि.वि., गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज के द्वारा दिनांक-26.07.2023 को आहूत उपवेशन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में अधिष्ठाता परिषद् की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त इन्हें सभी परिसरों एवं शोध संस्थानों में अनुपालनार्थ अधिसूचित किया जाता है।

1.1 विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त नियमित प्राध्यापक अपने मुख्य विषय के अतिरिक्त जिस विषय में आचार्य/एम.ए. हो तथा उस विषय में तीन प्रकाशित शोधपत्र/परियोजना/प्रायोगिक कार्यानुभव हो तो वह उस विषय में भी शोधनिर्देशक हो सकते हैं।

1.2 यदि कोई शिक्षक अपने मुख्य विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय के विशेषज्ञ हो तो सम्बन्धित विषय में तीन प्रकाशित शोधपत्र/परियोजना न होने पर भी स्थानीय शोध समिति के अनुमोदन पर उस शिक्षक को उस विषय का शोध निर्देशक बनाया जा सकता है।

2.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनाङ्क 07.11.2022 को निर्गत शोधनिर्देशक/सह-शोधनिर्देशक बनने हेतु पात्रता/मानदण्ड से सम्बन्धित दिशा निर्देश के नियमक्रमाङ्क 6.1 के आलोक में "अनुबन्ध सङ्काय सदस्य (एडजंक्ट फैकल्टी) शोधनिर्देशक नहीं हो सकते, वे केवल सह-शोधनिर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं" इसके अनुसार किसी विषय-विशेष की विशेज्ञता रखने वाले संविदा/अतिथि प्राध्यापक या केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वे अधिकारी जो निरन्तर शोध गतिविधि जैसे प्रकाशन/परियोजना में संलग्न हैं, यदि वे विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्ति तिथि से विश्वविद्यालय में 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा दो वर्ष का शोध परियोजना/पी.डी.एफ. का अनुभव रखते हों तो वे सह-शोधनिर्देशक हो सकते हैं।

2.2 किसी प्रायोगिक विषय में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ जिनका सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रायोगिक अनुभव हो वे विशेषज्ञ भी स्थानीय शोधसमिति के परामर्श पर सह-शोधनिर्देशक हो सकते हैं।

3. अन्तर्विषयक/बहुविषयक शोधविषय होने पर आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से इतर शैक्षणिक संस्थानों के विभाग/केन्द्र/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को सह-मार्गनिर्देशक बनाया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2022 एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि मार्गदर्शिका के अनुरूप समान विभाग या अन्य विभाग के प्राध्यापकों को सह-मार्गनिर्देशक बनाया जा सकता है।

5. अन्तःशास्त्रीय शोध करने वाले छात्रों को विशेषज्ञ समिति के द्वारा साक्षात्कार में प्रदत्त अङ्कों की वरीयता के आधार पर साक्षात्कार के अनन्तर नोटिफिकेशन की तिथि से यह छात्रवृति (16,000/- प्रतिमाह) देय होगी

(प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी)
अधिष्ठाता (शोध)

प्रतिलिपि-

1. अधिष्ठाता (शैक्षणिक)
2. कुलपति के विशेष कार्याधिकारी
3. परीक्षा नियंत्रक
4. समस्त परिसर/ सम्बद्ध महाविद्यालय एवं शोध संस्थान
5. कार्यालय आदेश पञ्जिका/ सञ्चिका
6. सम्बन्धित सञ्चिका

(प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी)
अधिष्ठाता (शोध)